ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 107-109

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

महिला मानवाधिकार एवं महिला उत्पीड़न (एक विश्लेषणात्मक अध्ययन)

किरण कुमारी

शोध अध्येता– राजनीतिविज्ञान, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया (बिहार), भारत

Received-21.04.2023, Revised-27.04.2023, Accepted-30.04.2023 **E-mail: akbar786ali888@gmail.com**

सारांशः ***मानवाधिकार मनुष्य के वे अधिकार है, जो उसे मानव होने के नाते मिलने ही चाहिए। मानवाधिकार प्रत्येक मनुष्य को मानवोचित गरिमा, प्रतिष्ठा एवं सम्मानजनक जीवन की प्राप्ति कराने के लिए अपरिहार्य है। वर्तमान समय में भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों को लेकर चिंता प्रकट की जा रही है। मानवाधिकारी को लेकर चिंता प्रकट की जा रही है। मानवाधिकरों का विचार समकालीन सामाजिक एवं राजनीतिक विचार विमर्श में एक सशक्त स्थान रखता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 10 दिसंबर, 1948 की मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा में मनुष्य के बुनयादी मानवधिकारों को स्पष्ट किया गया है। तबसे लकर अब तक मानावधिकारों की सूची इतनी अधिक विस्तीर्ण हो चुकी है कि उनको क्रमबद्ध करना एक दुरूह कार्य प्रतीत होता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में कहा गया है कि मानवाधिकारों से तात्पर्य व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से संबंधित अधिकारों से अंगीकृत है, जिसे संविधान सुरक्षित या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में अंगी.त किया गया है एवं जिन्हें भारत के न्यायालयों द्वारा लागू कराया जा सकता है। लेकिन यह भी एक कटू यथार्थ है कि दिन–प्रतिदिन समाज में मानवाधिकारों के हनन की शिकायतें भी बढ़ती जा रही है।***

कुंजीभूत शब्द– मानवाधिकार, मानवोचित गरिमा, प्रतिष्ठा, सम्मानजनक, अपरिहार्य, समकालीन, सामाजिक, राजनीतिक विचार।

महिला उत्पीड़न एक सार्वभौमिक प्रघटना है। कोई भी काल, स्थान और परिस्थितियां रही हो, प्रत्येक समाज में महिलाओं की स्थिति सदैव ही दोयम दर्जे की रही हैं। पुरूष के समक्ष उसे सदैव की कमजोर एवं निम्न–स्तर का माना गया है और यह विश्वास प्रकट किया गया कि उसे सदैव पुरूष के अधीन ही रहना चाहिए। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति की समीक्षा की जाए तो एक समय तो उसे बहुत ही श्रेष्ठ, सम्मानवीय और गौरवपूर्ण समझा जाता है जबकि विभिन्न युगों में नारी महानता की अनेकानेक घटनाएँ उनके त्याग, करूणा, दया, शुचिता और परोपकार से भरी पड़ी है परन्तु गौरव के इसी इतिहास के पीछे ही नारी के शोषण, अपमान और कष्टों की भी छद्म कथा छूपी हुई है जिसे विभिन्न सामाजिक संदर्भों, समय और परिस्थितियों में सदैव ही उचित ओर न्यायपूर्ण ठहराया जाता रहा है।

यद्यपि यह सत्य है कि प्रत्येक समाज व्यवस्था में, प्रत्येक समय पर शक्तिशाली व्यक्तियों, वर्गों ने अपने से कमजोर व्यक्तियों, वर्गों पर अत्याचार किये और उनका शोषण एवं उत्पीड़न किया । परन्तु यह भी सत्य है कि नारी चाहे किसी भी वर्ग, जाति या समाज की रही हो अनेकानेक आयामों से उसके उत्पीड़न और शोषण को सदैव ही वैध ठहराया गया और एक लम्बे समय तक उसकी स्थिति में सुधार के कोई प्रयास भी नहीं किये गये।

हर धर्म में पुरूष के कद की प्रधानता है। शायद ही ऐसा कोई धर्म है जिसे महिला ने बनाया हो। क्या हमारी ईश्वरीय शक्ति कोई पुरूष है? क्योंकि उसकी जितनी भी संतानें हुई चाहे वह राम हो, .ष्ण हो, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, मुहम्मद पैगंबर, गौतम बुद्ध और परशुराम सब–के–सब पुरूष ही क्यों? मात्र समाज की सोच नहीं इंगित करती है कि सबसे परम सत्य की तलाश में भी हम सिर्फ पुरूष की अगुवाई करते है, पर संयुक्त राष्ट्र के प्रयास और उसके अनेक सम्मेलनों के कारण महिला के मानव स्तर और उसके अधिकारों में काफी सार्थक प्रयास हुआ है। उसी का परिणाम है कि आठ मार्च को प्रत्येक वर्ष महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। महिलाओं पर जितने भी अत्याचार हुए होते हैं, चाहे वह उत्पीड़न हमें, शोषण हो या हत्या हो–सब–के–सब उसके मानवीय अधिकारों का हनन है और उसके कानून मानवाधिकार के क्षेत्र में आतें हैं क्योंकि मानवाधिकार समानता का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, इज्जत और स्वाभिमान का अधिकार है। हमारी नारी परतंत्र हैं, इसलिए उनका शोषण हो रहा है, उसको समाज में दोयम दर्जा मिला है, इसलिए उसके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। चँकि उसकी साँसे पुरूष वर्ग द्वारा नियंत्रित है, इसलिए उसके मानवाधिकारों का हनन होता है और शायद तब तक होता रहेगा जब तक वह मानुष नहीं बन जाती।

मानवाधिकारों विशेषकर महिलाओं के अधिकारों की प्राप्ति के क्षेत्र में भारत ने भी लंबा संघर्ष किया है। सदियों से भारत में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, अधिकार विहीनता, रूढिग्वादिता समाज के अंग थे, परंतु 19 वीं शताब्दी में पश्चिमी शिक्षा के आगमन से संस्तियों में टकराव हुआ। फलस्वरूप महिला अधिकारों की बात की जाने लगी। लोग परंपरागत ढाँचें से बाहर निकलकर सोचने लगे। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाने लगा। वर्ष 1917, 1926 और 1927 में क्रमशः भारतीय महिला संघ, भारतीय महिला परिषद तथा अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई तथा स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के मुद्दों पर विचार किया गया। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों को लागू करने के लिए 1950 में संवैधानिक उपया किए गए।

भारत में संविधान की प्रस्तावना 'हम भारत के लोग' शब्द से प्रारंभ है, जिसका अर्थ है– स्त्री और पुरूष को समानता का दर्जा दिया गया। संविधान का लक्ष्य नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विश्वास और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा बंधुता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र की एकता के प्रति लोगों को आश्वस्त करना है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के संदर्भ में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण निम्न प्रावधान किए गए हैं।

अनुच्छेद 15- राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, वंश, जाति,

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

लिंग के आधार पर किसी भी निर्येयता, दायित्व या शर्त के अधीन नहीं होता । अनुच्छेद का कोइ भी प्रावधान राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशिष्ट प्रावधान बनाने से नहीं रोक सकता।

अनुच्छेद 16- राज्य, के अधीन किसी पद के संबंध में धर्म, वंश, जाति, लिंग, के आधार पर कोई नागरिक आयोग्य नहीं होगा।

अनुच्छेद 39- पुरूष और स्त्री, नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकारी है। पुरूषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। पुरूष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरूपयोग न हो। अनुच्छेद द्वारा महिलाओं के लिए प्रसूतिकाल में राहत की व्यवस्था तथा काम के स्थान पर मानवीय सुविधा की व्यवस्था करेगा।

अनुच्छेद 43- यह मजदूरों के लिए वेतन तथा अच्छा जीवन जीने की व्यवस्था करता है।

अनुच्छेद 44- राज्य, भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान दीवानी संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 51- प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हैं। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में महिलओं के अधिकार सुनिश्चित किए गए।

अनुच्छेद- 325, 326- निर्वाचक नामावली में महिला और पुरूष को समान रूप से मद देने और चुने जाने का अधिकार देता है। भारत में महिला मानवाधिकारों को मूल अधिकारों के साथ जोड़ा गया है तथा महिलाओं के लिए विस्तृत अधिकारों की विवेचना की गई है तथा इस संदर्भ में संविधान में विभिन्न निम्नलिखित अधिनियमों को स्थान दिया गया है–

सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 : इस अधिनियम के अंतर्गत सती कर्म करने के लिए कारावास और जुरमाना दोनों ही सजा का प्रावधान है।

दहेज निवारण अधिनियम 1961 (संशोधित 1986) : इसके अतंर्गत दहेज लेने और देने के लिए दंड की व्यवस्था की गई है तथा दहेज मृत्यु पर 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान है।

अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 (संशोधित 1986) : इसके अंतर्गत व्यवस्था है कि संदिग्ध या अपराधी महिला से पूछताछ, तलाशी एवं गिरतारी केवल महिला पुलिस या महिला सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा की जाएगी।

बाल विवह अवरोध अधिनियम 1929 (संशोधित 1976) : इस अधिनियम में 1976 में संशोधन कर विवाह की आयु लड़के के लिए 21 वर्ष तथा लड़की के लिए 18 वर्ष की गई तथा अपराध को संज्ञेय बना दिया गया।

औषधियों द्वारा गर्भ गिराने से संबंधित अधिनियम 1971 : इस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभिक रूप से महिलाएँ विशेषज्ञ के माध्यम से गर्भ गिरा सकती हैं, संबंधित कागजात गुप्त रखे जाएँगे।

स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिबंध) अधिनियम 1986 : अधिनियम के अंतर्गत किसी भी महिला को इस प्रकार चित्रित नहीं किया जाएगा, जिससे उसकी सार्वजनिक नैतिकना को आघात पहुँचे । इस अधिनियम में फिल्म सेंसर बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है जो ऐसी फिल्मों पर रोक लगाएगा जिनमें महिलाओं की मर्यादा भंग होती हो।

विशेष विवाह अधिनियम 1954 : इसमें महिलाओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्रदान किया गया है।

प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 : इसमें गर्भावस्था में बालिका भ्रूण की पहचान कराने पर रोक लगाई गई है।

73वीं एवं 74वीं संविधान संशोधन 1993 : इस अधिनियम द्वारा महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायतों में एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 : इसके अंतर्गत समान कार्य हेतु महिलाओं को भी पुरूषों के समान पारिश्रमिक देने का प्रावधान किया गया है। किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज में महिलाओं की दशा देखकर ज्ञात की जा सकती है। महिलाओं की स्थिति ही वह पैमाना है जो समाज की दशा और दिशा को स्पष्ट कर देता है। संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन के मुताबिक, दो तिहाई विवाहित महिलाएँ घरेलू हिंसा की शिकार हैं। आँकड़ों के मुताबिक, पूरी दुनिया में प्रसव के वक्त हाने वाली मौतों में से एक चौथाई भारत में होती हैं। भारत में यह दर रूस, चीन और ब्राजील से कई गुना ज्यादा है।

आजाद भारत के संविधान में भारतीय नारी को तमाम अधिकार प्रदान किए गए। शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए तमाम विद्यालयों की स्थापना की गई । आजाद भारत में दिनों–दिन राजनीतिक–सामाजिक क्षेत्रों व शिक्षा–रोजगार के क्षेत्रों में महिलाओं ने तेजी से तरक्की हासिल की। महिलाओं ने कामयाबी के कीर्तिमान स्थापित किए। एक प्रधानमंत्री व कुशल प्रशासक के रूप में इंदिरा गांधी ने विश्व पटल पर अपने अमिट हस्ताक्षर करके भारत–भूमि की शान में बढ़ोत्तरी की। वर्तमान समय में भी राजनीतिक क्षेत्र में महिला शक्ति का वर्चस्व कायम है। सोनिया गांधी, मीरा कुमार, ममता बनर्जी, मायावती, जयललिता आदि की नेतृत्व क्षमता व कार्यशैली का लोहा विपक्षी राजनीतिक दल भी मानते हैं। भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर भी नारी शक्ति के रूप मे श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल आसीन थी, परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण कटु सत्य है कि 'यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवताः' की अवधारणा वाले भारत देश में सामाजिक व पारिवारिक स्तर पर स्त्री की दशा सोचनीय व दयनीय है। समाज के नैतिक पतन का परिणाम है कि जन्मदात्री नारी को पारिवारिक हिंसा का शिकार होना पड़ता है।

गौरवशाली इतिहास और कानूनी अधिकारों के बावजूद, आज भारत में आम महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। शीर्ष पदों पर महिलाओं के आसीन होने के बावजूद, आज आम महिला को उसका अधिकार व सम्मान प्राप्त नहीं है। ग्रामीण अंचलों में नारी शिक्षा प्रचार–प्रसार होने के बावजूद अभी अज्ञान की कालिमा मिटी नहीं है। अशिक्षित महिलाओं का अपने अधिकारों की जानकारी न होना, उनका अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न होना ही महिला की पीड़ा का, उसकी समस्या का सबसे बड़ा कारण है। विभिन्न कार्यक्रमों

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

के माध्यम से सरकारें महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास गैर–सरकारी संगठनों व सरकारी महकमों के माध्यम से जारी रखे हुए हैं। भारतवर्ष में महिलाओं को कानून प्रदत्त तमाम अधिकार प्राप्त है। महिलाओं को घरेलू हिंसा संबंधी, जायदाद संबंधी, कार्य क्षेत्र संबंधी, व्यक्तिगत सुरक्षा–संरक्षण संबंधी, पंचायती राज व्यवस्था में भागीरदारी संबंधी और भी तमाम हितकारी कानूनों का संरक्षण प्राप्त है। जागरूकता व शिक्षा के अभाव में आम महिला के साथ, पारिवारिक स्तर पर सब कुछ ठीक–ठाक नहीं है। यह ठीक है कि शीर्ष पदों पर पहूँचकर महिलाएँ महिला शक्ति का परचम लहरा रही हैं, परंतु समाज की प्राथमिक इकाई परिवार में महिला अपनी जिम्मेदारियों एवं घरेलू हिंसा के पाटों के बीच पिसती जा रही है। यदि आम महिलाएँ अपना कानूनी अधिकार जान जाएँ, उन अधिकारों की प्राप्ति के प्रति मुखरित हो जाएँ तो परिवार व समाज में एक बड़ा भूचाल आ जाएगा।

महिला संरक्षण अधिनियम 2005, के तहत महिलाओं को पारिवारिक हिंसा के विरूद्ध संरक्षण व सहायता का कानूनी अधिकार प्राप्त है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने साथ रह रही किसी महिला को शारीरिक हिंसा अर्थात मारपीट करना, थप्पड़ मारना, ठोकर मारना, दाँत से काटना, लात से मारना, मुक्का मारना, धक्का देना या किसी और तरीके से शारीरिक क्षति पहुँचाता है, तो पीडिघ्त महिला, महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत सहायता प्राप्त क सकती है। मौखिक और भावनात्मक हिंसा जिसमें अपमान, गालियाँ देना, चारित्रिक दोषारोपण, पुरूष संतान न होने के लिए अपमानित करना, दहेज की माँग, शैक्षणिक संस्थान में अध्ययन से रोकना, नौकरी करने से मना करना, घर से निकलने पर, सामान्य परिस्थितियों में व्यक्तियों से मिलने पर रोक, विवाह करने के लिए जबरदस्ती, पसंद के व्यक्ति से विवाह पर रोक, आत्महत्या की धमकी देकर कोई कार्य करवाने की चेष्टा, मौखिक र्दुव्यवहार के साथ–साथ महिलाओं को आर्थिक हिंसा के विरूद्ध भी महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 में कानूनी अधिकार प्राप्त है। आर्थिक हिंसा की श्रेणी में महिला को या बच्चों को गुजारा भत्ता न देना, खाना, कपड़ें, दवाइयाँ न उपलब्ध कराना, महिला को रोजगार चलाने से रोकना या विघ्न डालना, रोजगार करने की अनुमति न देना, महिला द्वारा कमाए गए धन को उसे खर्च न करने देना, घर से निकालने की कोशिश करना, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के उपभोग पर पाबंदी लगाना, किराये के घर में रहने की स्थिति में किराया न देना आदि कृत्य आते हैं। यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा की जाती है तो वह महिला धारा 18 व 19 के अधीन हिंसा करने वालों के विरूद्ध न्यायालय से आदेश प्राप्त कर सकती है। इन धाराओं द्वारा महिला घरेलू हिंसा को रोकने के लिए साधारण आदेश अथवा विशेष आदेश की प्राप्ति कर सकती है। महिलाओं को धारा 20 और धारा 22 के अधीन अंतरिम धनीय अनुतोष के तहत आदेश की प्राप्ति हो सकती है। घरेलू हिंसा की शिकार महिला को धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 9, धारा 10, धारा 12, धारा 18 से धारा 23 के तहत अधिकार प्राप्त हैं। इसमें संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता की सहायता, संरक्षण, घरेलू हिंसा से बचाव के उपाय, घर में शांतिपूर्ण तरीके से रहने का अधिकार, घरेलू उपयोग की चीजों के उपभोग की अनुमति आदि अधिकार शामिल है।

केवल सरकारी प्रयासों या कानून से तबतक किसी समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता जबतक हम महिलाएँ सक्रिय और जागरूक न हों। अब भारत की महिलाओं को अपना अधिकार जानना व छीनना पड़ेगा। अब महिलाओं को अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार के विषय में मुखरित होना होगा। वर्तमान दौर में महँगाई, आतंक के साये में जी रहे समाज व परिवार की महत्वपूर्ण सदस्य महिला वर्ग, दोहरी जिम्मेदारी का बोझ उठाने को विवश है। चौके–चूल्हे की आग की तरह प्रतिदिन नारी के मन में आग लगी है। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करके, पुनः निर्माण कर सकते हैं। ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब महिलाएँ स्वयं जागरूक होकर, अपने पैरों पर खड़ी होकर, अपने अधिकारों को जानें, उन्हें हासिल करें तथा कर्तव्य–पालन की दिशा में आगे बढ़ती रहें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. जिम आइफ : ह्यूमन राइट्स एंड सोशियल वर्क, टूवर्ड्स राइट्स बेस्ड प्रेक्टिस, केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, यूनाइटेड किंगडम, 2001, पृष्ठ –1.
2. माथुर, डॉ0 कृष्ण मोहन : स्वातंत्रयोत्तर भारत में मानवाधिकार, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2000, पृष्ठ 46.
3. चक्रवर्ती, तपन : महिला और कानून एक अध्ययन, आइना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, 1999, पृष्ठ 33.
4. मालवीय रश्मि : नारी उत्पीड़न, हर मल बढ़ते जुल्म के आंकड़ें, अमर उजाला, आगरा प्रकाशन, 18 जुलाई 1997.
5. श्रीवास्तव सुधा रानी : महिलाओं के प्रति अपराध, कामनबेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1999.
6. अंसारी, एम० ए० : राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय नारी, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2001.
7. मेहता चेतन : महिला और कानून, आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1996.
8. रंजन आर. : समाज में महिलाओं की स्थिति, अमर उजाला, 8 जून 1999, कानपुर।
9. ममता मेहरोत्रा : महिला अधिकार और मानवाधिकार, ज्ञान गंगा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011.
10. मंथन, अंक– अग्स्त, 2012, बिहार समाचार।

*****